



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 10, 2012/आश्विन 18, 1934

No. 518]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2012/ASVINA 18, 1934

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2012

सा.का.नि. 757(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवा और पद पुनर्नियोजन) नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन्हीं नियमों का संक्षिप्त नाम भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवा और पद पुनर्नियोजन) संशोधन नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवा और पद पुनर्नियोजन) नियम, 1979 में,—

(1) नियम 2 में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) ‘भूतपूर्व सैनिक’ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,—

(i) जिसने भारत संघ की नियमित सशस्त्र सेना, नौ सेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में, चाहे योद्धक के रूप में या गैर-योद्धक के रूप में सेवा की है, और

(क) जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से, चाहे स्वानुरोध पर या नियोजक द्वारा कार्यमुक्त किए जाने पर, सेवानिवृत्त, अवमुक्त या सेवान्मुक्त हो गया है या हो गई है ; या

(ख) जिसे सैनिक सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अथवा उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सैनिक सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन दी गई हो ; या

(ग) जिसे संस्थापना में कटौती हो जाने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो ;

या

(ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि पूरी करने के पश्चात् उसके स्वयं के अनुरोध के सिवाय ऐसी सेवा से सेवानुवृत्त किया गया है अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण सेवा से बर्खास्त अथवा

सेवामुक्त किया गया हो और जिसे कोई उपदान दिया गया हो तथा इसके अंतर्गत प्रादेशिक सेना की निम्नलिखित श्रेणियां, अर्थात् निरंतर अंगीभूत (एम्बोडीड) सेवा या अर्हक सेवा की खंडित अवधियों के पेंशनधारक, भी हैं ;

या

(iii) सैन्य डाक सेवा के ऐसे कार्मिक, जो नियमित सेना के भाग हैं और जो, सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में प्रतिवर्तन के बिना सैन्य डाक से सेवानिवृत्त हुए हैं या जिन्हें सैनिक सेवा के कारण या सैनिक सेवा की वजह से गुरुतर होने के कारण चिकित्सीय आधार पर या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो और जिन्हें चिकित्सा या अन्य निःशक्त पेंशन दी गई हो ;

या

(iv) ऐसा कार्मिक, जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व छह मास से अधिक की अवधि से सैन्य डाक से प्रतिनियुक्ति पर है ; या

या

(v) सशस्त्र बलों के, जिसके अंतर्गत प्रादेशिक सेना के कार्मिक भी हैं, वीरता पुरस्कार विजेता

या

(vi) ऐसे भूतपूर्व रंगरूट, जिन्हें चिकित्सा आधार पर अशक्त होने के कारण पृथक् या कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्त पेंशन दी गई हो ।”।

(2) नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3. लागू होना—ये नियम केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों तथा सभी अर्धसैन्य बलों में सहायक कमान्डेण्ट के स्तर के पदों तक लागू होंगे ।”।

(3) नियम 4 में—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) रिक्तियों का आरक्षण— सभी अर्धसैन्य बलों में सहायक कमान्डेण्ट तक के स्तर के पदों में रिक्तियों का दस प्रतिशत, समूह ‘ग’ पदों में रिक्तियों का दस प्रतिशत ; और समूह ‘घ’ पदों में रिक्तियों का, जिसके अंतर्गत किसी वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली अस्थायी आधार पर आरंभ में भरी गई स्थायी रिक्तियां और ऐसी अस्थायी रिक्तियां भी हैं, जिनके स्थायी किए जाने की संभावना है या जिनके तीन मास और उससे अधिक समय तक बने रहने की संभावना है, बीस प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित होंगे ।”।

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर चयनित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर समायोजित किया जाएगा :

परंतु यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के भूतपूर्व सैनिक का भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर चयन किया जाता है और, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्ति ऐसे भूतपूर्व सैनिक को समायोजित करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो उसे भविष्य में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित अगली उपलब्ध रिक्ति पर समायोजित किया जाएगा ।”।

(ग) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर भर्ती की दशा में पात्र या अर्हित अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण आरक्षित रिक्ति नहीं भरे जाने पर, उसे गैर-भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।”।

(4) नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“5 (क) केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' (अराजपत्रित), समूह 'ग' या समूह 'घ' पदों की रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए ऐसे भूतपूर्व सैनिक को उसकी वास्तविक आयु में से वास्तविक सैनिक सेवा की अवधि को घटाने की अनुज्ञा दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु उस पद के लिए जिस पर वह नियुक्ति चाहता है, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होती है तो यह समझा जाएगा कि वह आयु सीमा संबंधी शर्तों को पूरा करता है।

(ख) अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार से भिन्न सीधी भर्ती द्वारा भरी गई समूह क और समूह ख सेवाएं या आफिसर पदों में, किसी रिक्ति पर नियुक्ति के लिए उच्चतर आयु सीमा को भूतपूर्व सैनिकों की और आयुक्त आफिसरों, जिसके अंतर्गत आपात आयुक्त आफिसर या शार्ट सर्विस आयुक्त आफिसर भी हैं, की दशा में तीन वर्ष तक बढ़ाकर सैन्य सेवा काल तक शिथिल किया जाएगा।

(ग) अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी गई समूह क और समूह ख सेवाएं या पदों में किसी रिक्ति पर नियुक्ति के लिए, ऐसे भूतपूर्व सैनिकों और आयुक्त आफिसरों को, जिसके अंतर्गत आपात आयुक्त आफिसर या शार्ट सर्विस आयुक्त आफिसर भी हैं, जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष सेवा की है और जिन्हें,-

(i) कदाचार या अकुशलता के कारण सेवा से बर्खास्तगी या सेवा मुक्ति से भिन्न, कर्तव्य भार पूरा हो जाने पर कार्यमुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत वे भी हैं, जिनका कर्तव्य भार एक वर्ष के भीतर पूरा होना है); या

(ii) सैनिक सेवा के कारण शारीरिक निःशक्तता के आधार पर या असमर्थता के आधार पर कार्यमुक्त कर दिया गया है,

उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिल करने की अनुज्ञा दी जाएगी।”

[फा. सं. 36034/1/2006-स्थापना (आरक्षण)]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि 1530 तारीख 15 दिसंबर, 1979 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि 973, तारीख 27 अक्टूबर, 1986 द्वारा तथा अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि 333(अ), तारीख 27 मार्च, 1986 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2012

G.S.R. 757(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules, 1979, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Amendment Rules, 2012.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules, 1979
(1) in rule 2, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

- (c) An 'ex-serviceman' means a person -
 - (i) who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union, and
 - (a) who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension; or
 - (b) who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or
 - (c) who has been released from such service as a result of reduction in establishment;

or

- (ii) who has been released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than at his own request, or by way of dismissal, or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given a gratuity; and includes personnel of the Territorial Army, namely, pension holders for continuous embodied service or broken spells of qualifying service;

or

- (iii) personnel of the Army Postal Service who are part of Regular Army and retired from the Army Postal Service without reversion to their parent service with pension, or are released from the Army Postal service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstance beyond their control and awarded medical or other disability pension;

or

- (iv) Personnel, who were on deputation in Army Postal Service for more than six months prior to the 14th April, 1987;

or

- (v) Gallantry award winners of the Armed forces including personnel of Territorial Army;

or

- (vi) Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension.

(2) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Application - These rules shall apply to all the Central Civil Services and Posts and the posts upto the level of Assistant Commandant in all paramilitary forces."

(3) in rule 4,-

(a) for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(i) Reservation of vacancies: - Ten per cent of the vacancies in the posts upto of the level of the Assistant Commandant in all para-military forces, ten per cent of the vacancies in

3854 4/12-2

Group 'C' posts; and twenty per cent of the vacancies in Group 'D' posts, including permanent vacancies filled initially on a temporary basis and temporary vacancies which are likely to be made permanent or are likely to continue for three months and more, to be filled by direct recruitment in any year shall be reserved for being filled by ex-servicemen."

(b) for sub-rule(2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Class candidates selected against the vacancies reserved for ex-servicemen shall be adjusted against vacancies reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, respectively:

Provided that if a the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe or the Other Backward Class ex-servicemen is selected against the vacancy reserved for ex-servicemen and vacancy reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes, as the case may be, is not available to adjust such ex-serviceman, he shall be adjusted in future against the next available vacancy reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes, as the case may be."

(c) after sub-rule (3), the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that in case of recruitment to the vacancy reserved for Ex-servicemen in the Central Para Military Forces, the reserved vacancy remained unfilled due to non-availability of eligible or qualified candidates, the same shall be filled by candidates from non-ex-servicemen category".

(4) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

"(5) (a) For appointment to vacancies in Group B(Non-Gazetted), Group C or Group D posts in Central Government, an ex-serviceman shall be allowed to deduct the period of actual military service from his actual age and if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for the post for which he is seeking appointment by more than three years, he shall be deemed to satisfy the condition regarding age limit.

(b) For appointment to any vacancy in Group A and Group B services or posts filled by direct recruitment otherwise than

on the results of an Open All India Competitive Examination, the upper age limit shall be relaxed by the length of military service increased by three years in the case of ex-servicemen and commissioned officers including Emergency Commissioned Officers or Short Service Commissioned Officers.

- (c) For appointment to any vacancy in Group A and Group B services or posts filled by direct recruitment on the results of an All India Competitive Examination, the ex-servicemen and Commissioned Officers including Emergency commissioned Officers or Short Service Commissioned Officers who have rendered atleast five years military services and have been released -
- (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency; or
- (ii) on account of physical disability attributable to military service or on invalidment, shall be allowed maximum relaxation of five years in the upper age limit.

[F. No. 36034/1/2006-Estt. (Res.)]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1530, dated the 15th December, 1979 and subsequently amended by G.S.R. 973 dated 27th October, 1986, and was last amended by notification No. G.S.R. 333(E), dated 27th March, 1986.